

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 277/17

निर्णय दिनांक: 25-10-17

रामेश्वरलाल पुत्र अर्जुनराम जाति ब्राहमण निवासी लालमदेसर मगरा तहसील
व जिला बीकानेर।

अपीलांट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 24-05-2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24-05-2003 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में वन विभाग को आवंटित भूमि का भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 10-500 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 120/3 के किला नम्बर 1, 2 ता 9, 10 ता 15, 20 कुल तादादी 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दिनांक 24-05-2003 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु उक्त भूमि पूर्व में ही वन विभाग को आवंटनशुदा होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 24-08-17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पर वन विभाग का कब्जा है व मौके पर नर्सरी बनी हुई है। अपीलांट को उक्त भूमि नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 24-08-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से दिनांक 24-05-2003 को चक 10-500 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 120/3 के किला नम्बर 1, 2 ता 9, 10 ता 15, 19, 20 कुल तादादी 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(2) जहाँ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटनसमिति की राय से बाद जाँच ही दिनांक 24-05-2003 को आवंटन किया गया था।

(3) अपीलांट को उक्त भूमि के कब्जे बाबत अदालत मातहत के समक्ष कई बार निवेदन करने पर भी कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। पत्रावली के साथ संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार आराजी जैर पर मौके पर नर्सरी के पेड़ लगे हुए है, तथा मौके पर भूमि पर वन विभाग का वृक्षारोपण है। जिससे स्पष्ट है कि आराजी जैर रकबा वन विभाग को आवंटित है। इसलिए अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का कब्जा दिया जाना संभव नहीं है।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(5) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जिस पर वन विभाग का पूर्व से कब्जा है तथा मौके पर वन विभाग का वृक्षारोपण है। इसलिए अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर


भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः बिन्दु संख्या 7 के पैरा संख्या 1 ता 15 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलाट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए उसी किस्म की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।



9.

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक ~~25-10-12~~ को सरे इजलास सुनाया गया।


(~~राजस्व अपील अधिकारी~~)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर